

प्रयागराज वाहन की टक्कर से राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत, किया गया अंतिम संस्कार

(आधुनिक समाचार सेवा) प्रयागराज। प्रयागराज के सोरांव में वाहन की टक्कर से एक राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची इलाकार्ड ने पुलिस व वन विभाग की टीम ने अंतिम संस्कार किया। मिली जानकारी के अनुसार प्रयागराज के सोरांव थाना क्षेत्र के श्यामा गेस्ट हाउस शिवगढ़ के समाने अज्ञात वाहन की टक्कर से राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हो गई। सूचना पर सोरांव पुलिस व वन विभाग की टीम मोर के पहुंची पुलिस व वन विभाग की टीम ने राजकीय सम्मान के साथ राष्ट्रीय पक्षी मोर का अंतिम संस्कार किया।



बाबा विश्वनाथ को जल चढ़ाने के बाद गंगा स्नान करते समय झूबने से कांवड़िए की मौत, मचा कोहराम

(आधुनिक समाचार सेवा)

प्रयागराज। बाबा विश्वनाथ को जल चढ़ाने के लिए कांवड़िए लेकर गए एक

जानकारी परिवार वालों को हुआ तो मानों उनके ऊपर दुखों का पहाड़ दूट पड़ा। पूरे इलाके में शोक की



कांवड़िए की वाराणसी के अस्सी घाट पर स्नान करते समय गंगा में झूबने से मौत हो गई। घटना की

की नीम सराय मुद्रेरा धूमनगंज का निवासी राहुल केशवरामी (21) अपने 10 साथियों के साथ प्रयागराज से बाबा काशी विश्वनाथ

में जल चढ़ाने के लिए गया था। दर्शन-पूजन के बाद सभी अस्सी घाट पहुंचे और गंगा स्नान करने लगे। इस दौरान राहुल गहरे पानी में जाने से झूब गया। साथी सुनील ने बताया कि हम लोग अस्सी घाट पर स्नान कर रहे थे तभी राहुल झूबने लगा। हमने बचने का पूरा प्रयाग किया, लेकिन वह गहरे पानी में समा गया। राहुल घर में सबसे बड़ा है। उसका एक छोटा भाई है। राहुल के पिता पप्पा चाट की दुकान लगाते हैं। राहुल भी पहाड़ी के साथ-साथ अपने पता के दुकान में हाथ बताता था राहुल का एक छोटा भाई है जो अभी पहाड़ी कर रहा है।

मेजा में घरेलू विवाद में भतीजे ने की चाचा की हत्या, मचा हड़कंप

(आधुनिक समाचार सेवा)

प्रयागराज। प्रयागराज मेजा के लोटांड गांव में घरेलू विवाद में एक

पर पहुंची इलाकार्ड पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर मेजा थाना क्षेत्र के लोटा



हत्या कर दी। जिससे हड़कंप मच गया। वारदात को अंजाम देने के बाद भतीजा फरार हो गया। सूचना

उक्त अंत्रा (38) पुरुष मुहर्म अली

पर होड़ी गई। शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए घर पर भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की

लहर दोड़ गई।

गंगा में घरेलू विवाद में भतीजे गुंडा

पुरुष इंद्राज ने अपने चाचा इतराज

का बाट भतीजा फरार हो गया। सूचना

उक्त अंत्रा (38) पुरुष मुहर्म अली

पर होड़ी गई।

याची का आरोप है कि विवेचना

(आधुनिक समाचार सेवा)

प्रयागराज। आरोपियों के प्रभाव में

एक कर रहे थे। तीन माह से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद विवेचनाधिकारी

द्वारा न तो आरोपियों की गिरफतारी

की गई और न ही आरोप पत्र

दाखिल किया गया। याची का आरोप

है कि विवेचनाधिकारी आरोपियों

द्वारा नहीं कर रहे हैं। निष्कष विवेचना

न होने का अधिकार प्राप्त

है। विवेचना से व्यक्तिगत पक्षकारों

को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत

याचिका के स्थान पर उंड प्रक्रिया

संहिता के प्रविधानों के विकल्प का

प्रयोग करना चाहिए। यह आदेश

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विवेचना

कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति विवेचना

को संहिता के खंडों ने देखे जा-

ने कहा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट को

विवेचना की निष्कर्ष की जांच और

निगरानी करने का अधिकार प्राप्त

है। विवेचना से व्यक्तिगत पक्षकारों

को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत

याचिका के स्थान पर उंड प्रक्रिया

संहिता के प्रविधानों के विकल्प का

प्रयोग करना चाहिए। यह आदेश

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अंजनी

कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति विवेचना

को संहिता के खंडों ने देखे जा-

ने कहा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट को

विवेचना की निष्कर्ष की जांच और

निगरानी करने का अधिकार प्राप्त

है। विवेचना से व्यक्तिगत पक्षकारों

को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत

याचिका के स्थान पर उंड प्रक्रिया

संहिता के प्रविधानों के विकल्प का

प्रयोग करना चाहिए। यह आदेश

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अंजनी

कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति विवेचना

को संहिता के खंडों ने देखे जा-

ने कहा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट को

विवेचना की निष्कर्ष की जांच और

निगरानी करने का अधिकार प्राप्त

है। विवेचना से व्यक्तिगत पक्षकारों

को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत

याचिका के स्थान पर उंड प्रक्रिया

संहिता के प्रविधानों के विकल्प का

प्रयोग करना चाहिए। यह आदेश

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अंजनी

कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति विवेचना

को संहिता के खंडों ने देखे जा-

ने कहा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट को

विवेचना की निष्कर्ष की जांच और

निगरानी करने का अधिकार प्राप्त

है। विवेचना से व्यक्तिगत पक्षकारों

को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत

याचिका के स्थान पर उंड प्रक्रिया

संहिता के प्रविधानों के विकल्प का

प्रयोग करना चाहिए। यह आदेश

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अंजनी

कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति विवेचना

को संहिता के खंडों ने देखे जा-

ने कहा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट को

विवेचना की निष्कर्ष की जांच और

निगरानी करने का अधिकार प्राप्त

है। विवेचना से व्यक्तिगत पक्षकारों

को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत

याचिका के स्थान पर उंड प्रक्रिया

संहिता के प्रविधानों के विकल्प का

प्रयोग करना चाहिए। यह आदेश

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अंजनी

कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति विवेचना

को संहिता के खंडों ने देखे जा-

ने कहा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट को

विवेचना की निष्कर्ष की जांच और

निगरानी करने का अधिकार प्राप्त

है। विवेचना से व्यक्तिगत पक्षकारों

को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत

याचिका के स्थान पर उंड प्रक्रिया

संहिता के प्रविधानों के विकल्प का

प्रयोग करना चाहिए। यह आदेश

उच्च

संक्षिप्त समाचार

सभी विषयों में
घुलेगी अब
भारतीय ज्ञान की
मिठास

(आधुनिक समाचार सेवा)

नई दिल्ला। देश की नई पीढ़ी भारतीय ज्ञान से जुड़े उन सभी पहलों से अब पराचित होगी, जिन्हें प्राचीन या पिछड़ा हुआ मानकर भुला दिया गया था। इस दिशा में स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक बड़ी पहल की गई है। इसमें मौजूदा समय में पढ़ाए जा रहे प्रत्येक विषय या कोर्स में अब भारतीय ज्ञान की उस मिठास को धोला जा रहा है, जो न सिफ़र नई पीढ़ी की भारतीय होने का गर्व कराएगी, बल्कि उनके ज्ञान को दुनिया में एक नई पहचान



भी दिलाएगी। इस दिशा में अलग-

अलग स्तर पर कोशिशें शुरू हो गई हैं। इसमें इससे जुड़ी विषय वर्तु को सिर्फ़ सेवों में शामिल करने के साथ शिक्षकों को भी भारतीय होने का गर्व कराएगी, बल्कि उनके ज्ञान को दुनिया में एक नई पहचान के दौरान उससे जुड़े उदाहरण या जानकारी आग्रों को जरूर बताएं। फिल्हाल इस दिशा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीआर) ने अपने पहल की डैस्क्रेप्ट तहत उसे भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित एक पाठ्यक्रम भी डिजाइन किया है, जिसके महाभारत काल में कृषि और सिंचाई जैसी व्यवस्था, खोल विज्ञान की वैदिक अवधारणाएं और वैदिक गणित, प्राचीन भारत की सुश्रुत सहिता में वर्णित की गई लाइस्टिक और मोतियाबिंद सर्जरी, रामायण काल में कृषि और सिंचाई की तकनीक आदि विषयवस्तु को भी प्रमुखता से जगह दी है। इसके साथ ही प्राचीन भारत में अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े उन विद्वानों की भी जिज़क किया गया है, जिन्होंने भारतीय शिक्षा को एक नई ऊँचाई दी थी। इनमें जो प्रमुख नाम है, उसमें चरक, सुश्रुत, आर्य भट्ट, वराहीमाहर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, शार्करा और गार्गी आदि विद्वान शामिल हैं। इसके साथ ही स्कूली शिक्षा के लिए जो नया पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है।

